कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,रामपुर

पत्रांक 2181 / 14–1 रामपुर दिनांकः07 मार्च 2018

सेवा में

मनीश कुमार सिंह
डिवीजनल मैनेजर
एस्सार आयल कम्पनी लि0
ए–5, सेक्टर–3,नोएडा उ0प्र0।

विषयः– रामपुर–केमरी मार्ग(ओ0डी0आर0 संख्या–20) किमी0 3.135 की दायीं पटरी पर ग्राम–पहाड़ी के खसरा संख्या–140 मे एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर –एच, अलीगंज, लखनऊ की सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 34 / 2018 / एफ.पी. / 809 दिनांक 09.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक रामपुर–केमरी मार्ग(ओ0डी0आर0 संख्या–20) किमी0 3.135 की दायीं पटरी पर ग्राम–पहाड़ी के खसरा संख्या–140 मे एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर –एच, अलीगंज, लखनऊ की सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 34 / 2018 / एफ.पी. / 809 दिनांक 09.02.2018 के आलोक में स्वीकृति में निर्गत शर्तो का अनुपालन निम्न प्रकार सुनिश्चित करें।

Observaation No.	Observation	Reply
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करतें हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में All payment will be Paid by e-Challan Only. Rs.16450.00 (Sixteen thousand four hundred fifty rupees only)	
2(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202 / 1996 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्यइ (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। All payment will be Paid by e-Challan Only. Rs.34743.00 (Thirty four thousand seven hundred forty three rupees only)	
(ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या(जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हों) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	

3.	विधिवत स्वीकृति जारी हो के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (165.480 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊचीं दीवाल बनाकर किया जायेगा।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम,कानून तथा निर्देशों का पालन करेगी।	
6.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।	
7.	इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक 2181/14–1 दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी रामपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कर यह आख्या दे कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।